सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 208
08/3/2017

निर्वाचकों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमान्य

पटना, 08 मार्च :: सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार से प्राप्त सूचनानुसार, गया स्नातक, गया शिक्षक, सारण स्नातक एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, बिहार विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन–2017 में, मतदान की तिथि दिनांक 09–3–2017 (गुरूवार) को, मताधिकार का प्रयोग करने के लिये, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अनुमान्य किया जायेगा।

ज्ञातव्य है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्गत पत्र तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ख में निहित प्रावधानों तथा एन0आई0एक्ट, 1881 की धारा–25 के स्पष्टीकरण के आलोक में उक्त निर्णय लिया गया है।

––––––––